पूर्ण बेंच

समक्ष एस. एस. संधावालिया, सी.जे., एस.सी. मित्तल, डी.एस. तेवतिया, के. एस. तिवाना और एस. पी. गोयल, जे.जे.

राम सरूप और एक अन्य, *अपीलकर्ता,*

बनाम

शेर सिंह और अन्य, - *उत्तरदाता।*

***निष्पादन द्वितीय अपील सं.* 1971 *का* 1306**

25 सितंबर, 1978।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - *धारा 48 - भारतीय परिसीमा अधिनियम (*1908 *का IX*) - पहली अनुसूची, अनुच्छेद *182 - संहिता की धारा 48* - क्या अनुच्छेद *182 द्वारा नियंत्रित हो* ।

राम सरूप, आदि *बनाम* शेर सिंह, आदि (एस. एस. संधावालिया, सी.जे.)

निर्धारित, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 एक स्व-निहित संहिता नहीं थी। यह वास्तव में केवल सीमा की अवधि निर्धारित करता है और एक अप्राप्य या अंतिम पट्टी नहीं थी। कानून का बाद का इतिहास फिर से उसी प्रभाव का एक संकेत है। धारा 48 को अब भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 28 के प्रावधानों द्वारा निरस्त कर दिया गया है और आंशिक रूप से इसका स्थान परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 136 द्वारा ले लिया गया है। इसलिए, इस परिवर्तन को कानून की घोषणा के रूप में माना जाना चाहिए और एक बार जब यह माना जाता है कि संहिता की धारा 48 में सीमा की अवधि निर्धारित की गई है, तो यह अच्छी तरह से पालन किया जाएगा कि इसे परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सिद्धांत रूप में भी पूर्वोक्त दृष्टिकोण स्वीकृति के लिए स्वयं की प्रशंसा करता है। यदि किसी पक्ष को डिक्री में संशोधन करने का अधिकार है और वह ऐसा करने में सफल रहा है तो उसे केवल इस तथ्य से अपनी सफलता के फल से वंचित नहीं किया जा सकता है कि मूल डिक्री की तारीख से बारह साल से अधिक समय बीत चुका है।

(पैरा 6 और 7).

अमर नाथ और अन्य बनाम *मुई राज, ए.आई.आर.* 1975 *पंजाब और हरियाणा* 246

ख़ारिज

दुल्हिन बनाम *हरिहर गिर,* ए आईआर 1939 पटना 607;.

फकीर चंद बनाम *कुंदन सिंह,* ए.आई.आर. 1932 इलाहाबाद 351.

गणेश दास बनाम *विशन दास,* ए.आई.आर. 1935 लाहौर 292.

गणेशमल पश्मल बनाम *नंदलाल तुलसीराम, ए.आई.आर.* 1954 बम्बई104.

कृष्ण पिल्लई नारायण पिल्लई बनाम नीलकांत पिल्लई वेलायुधन पिल्लई, *ए.आई.आर.* 1957 ट्रैव-कोचीन 293.

रामचंद्र राव बनाम *परशुरामय्या,* ए.आई.आर. 1940 मद्रास127.

श्याम सुंदर प्रसाद बनाम *रामदास सिंह,* ए.आई.आर. 1946 पटना 392.

अब अच्छा कानून नहीं माना जाता है।

रोहतक के उच्च अपीलीय शक्तियों वाले वरिष्ठ उप-न्यायाधीश श्री पी. एल. सांघी के दिनांक 11 मई, 1971 के आदेश से दूसरी अपील का निष्पादन करते हुए श्री एस. तरलोचन सिंह उपन्यायाधीश प्रथम श्रेणी सोन ईपत के दिनांक 25 जनवरी, *1968 के आदेश को पलटते हुए* अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत की डिक्री और निर्णय को निरस्त कर दिया गया और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से *अधिवक्ता एससी कपूर।*

एस. पी. जैन, एडवोकेट, *उत्तरदाताओं के लिए।*

निर्णय

एस. एस. संधावालिया, सीजे-(1) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 (जिसे अब भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा 1 जनवरी, 1964 से निरस्त कर दिया गया है) को भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 182 द्वारा नियंत्रित किया गया था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका निर्धारण इस पूर्ण पीठ द्वारा किया जाना है।

2. बड़ी पीठ को यह संदर्भ इसलिए दिया गया है क्योंकि अमर नाथ और अन्य बनाम *मूल राज*[1] *के मामले में रिपोर्ट किए गए फैसले की शुद्धता को जोरदार चुनौती दी गई है* । जिसमें यह माना गया है कि धारा 48 में एक रोक निर्धारित की गई है जो अंतिम थी और जिसे डिक्री के संशोधन द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता था, क्या वह संशोधन बारह साल की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में किया गया था, और यह कि संहिता की धारा 48 के अर्थ के भीतर डिक्री की तारीख हमेशा मूल डिक्री की तारीख होती है, न कि संशोधित डिक्री की तारीख।

3. यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की कभी-कभी होने वाली शिथिलता का एक ज्वलंत उदाहरण है। मूल रूप से संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए डिक्रीधारक द्वारा दायर मुकदमे में, प्रारंभिक डिक्री ट्रायल कोर्ट द्वारा चार दशक पहले 27 मार्च, 1938 को पारित की गई थी। इस संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, उसके बाद मामले के चेककिए गए इतिहास का विस्तार से पालन करना अनावश्यक है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि शुरू हुई कार्यवाही की यातनापूर्ण प्रक्रिया में, पूर्वोक्त डिक्री को 16 जुलाई, 1966 की भौतिक तिथि पर संशोधित करने की अनुमति दी गई थी> अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या डिक्री के निष्पादन के लिए टर्मिनस इसके संशोधन की तारीख (16 जुलाई, 1966) है, जैसा कि परिसीमा अधिनियम 1908 की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 182 के कॉलम 3 में खंड (4) में प्रावधान किया गया है या मूल

[1] आई.एल.आर. 1975 पंजाब और हरियाणा 246.

डिक्री की तारीख, अर्थात्, 27 मार्च, 1938 को।

4. चूंकि विवाद अनिवार्य रूप से भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की पहली अनुसूची की अब निरस्त हो चुकी धारा 48 और अनुच्छेद 182 के दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए, इसलिए इन्हें पहले संदर्भ की सुविधा के लिए निर्धारित किया जा सकता है: -

"48 (1) जहां किसी डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक आवेदन किया गया है, जो निषेधाज्ञा प्रदान करने वाला डिक्री नहीं है, उसी डिक्री के निष्पादन के लिए बारह साल की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी नए आवेदन पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा-

a) डिक्री की तारीख को निष्पादित करने की मांग की गई; नहीं तो

b) जहां डिक्री या कोई अनुवर्ती आदेश धन के किसी भी भुगतान या किसी भी संपत्ति की डिलीवरी को एक निश्चित तारीख या आवर्ती अवधि पर करने का निर्देश देता है, भुगतान या वितरण करने में चूक की तारीख जिसके संबंध में आवेदक डिक्री को निष्पादित करना चाहता है।

1. इस धारा में कुछ भी नहीं समझा जाएगा-

a) बारह साल की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत आवेदन पर डिक्री के निष्पादन का आदेश देने से न्यायालय को रोकना, जहां निर्णय-देनदार ने धोखाधड़ी या बल द्वारा, आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह साल के भीतर किसी समय डिक्री के निष्पादन को रोक दिया है; नहीं तो

b) भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 183 के संचालन को सीमित करना या अन्यथा प्रभावित करना,

अनुच्छेद 182 -		
किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए जो अनुच्छेद 183 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।	तीन साल या जहां डिक्री या आदेश की प्रमाणित प्रति दी गई है पंजीकृत से छह साल ।	1. डिक्री या आदेश की तारीख; नहीं तो 2. (जहां अपील की गई है) फाइनल की तारीख अपीलीय न्यायालय की डिक्री या आदेश, या अपील वापस लेना, या 3. (जहां निर्णय की समीक्षा हुई है) समीक्षा पर पारित निर्णय की तारीख; नहीं तो 4. (जहां डिक्री में संशोधन किया गया है) संशोधन की तारीख; नहीं तो 5. * * * '* 6. * * * «

5. इस जटिल प्रश्न पर कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 में किसी डिक्री के निष्पादन के लिए बारह वर्ष की पूर्ण सीमा निर्धारित की गई है या क्या यह नियंत्रित या अतिरंजित है। परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक राय का व्यापक टकराव हुआ है। लगभग आधी सदी। तथापि, मैं इस न्यायिक साहित्य की मात्रा में और अधिक योगदान करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम न्यायालय के बाध्यकारी दृष्टांत द्वारा इस मामले को अंतत विराम दे दिया गया है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि *अमर नाथ के मामले* (1 सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीश ने फकीर चंद बनाम *कुंदन सिंह*[2] सहित कई उदाहरणों पर अपना विचार व्यक्त किया।, *गणेश दास* बनाम *विशन दास*[3], *माउंट दुल्हिन* बनाम *हरिहर गिर*,[4], *राम-चंद्र राव* बनाम *परशुरामय्या*[5], *श्याम सुंदर प्रसाद* बनाम *रामदास सिंह*[6], *गणेशमल पासमल* बनाम *नंदलाल तुलसीराम*[7], *और कृष्ण पिल्लई नारायण पिल्लई* बनाम *नीलकांत पिल्लई वेलायुधन पिल्लई*[8]। हालांकि, अब यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त दृष्टिकोण और ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को लालजी राजा और संस बनाम *फर्म हंसराज नाथूराम*[9] (मामले में उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई श्रेणीबद्ध टिप्पणियों के मद्देनजर अब अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है ।

6. चूंकि मेरा विचार है कि मामले का समापन बाध्यकारी दृष्टांत से हुआ है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे की जांच शुरू करना व्यर्थ है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि यह तर्क कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 48 एक स्व-निहित संहिता थी, जिसमें निर्धारित अवधि एक पूर्ण रोक थी, को उनके लॉर्डशिप द्वारा बिना किसी अनिश्चित शब्दों में नकारात्मक कर दिया गया है और परिणामस्वरूप यह माना गया है कि धारा 48 भी केवल सीमा की अवधि निर्धारित करती है, न कि एक असीमित या अंतिम प्रतिबंध। कानून का बाद का इतिहास फिर से उसी प्रभाव का एक संकेत है। यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि धारा 48, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अब भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 28 के प्रावधानों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विशेष रूप से इसका स्थान अब परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 136 द्वारा ले लिया गया है।

इसलिए, इस परिवर्तन को कानून की घोषणा के रूप में माना जाना चाहिए और एक बार जब यह माना जाता है कि संहिता की धारा 48 में भी सीमा की अवधि निर्धारित की गई है, तो यह अच्छी तरह से पालन किया जाएगा कि इसे परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

7. सिद्धांत रूप में भी पूर्वोक्त दृष्टिकोण स्वीकृति के लिए स्वयं की प्रशंसा करता है। यदि किसी पक्ष को डिक्री में संशोधन करने का अधिकार है और वह ऐसा करने में सफल रहा है तो उसे केवल इस तथ्य से अपनी सफलता के फल से वंचित नहीं किया जा सकता है कि मूल डिक्री की तारीख से बारह साल से अधिक समय बीत चुका है और उस आधार पर वही निष्पादन योग्य नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसी स्थिति का एक उपयुक्त उदाहरण है। डिक्रीधारक ने 27 मार्च, 1938 को अपनी मूल डिक्री

[2] ए.आई.आर. 1932 351.
[3] ए.आई.आर. 1935 292.
[4] ए.आई.आर. 1939 पटना 507.
[5] ए.आई.आर. 1940 मैड. 127.
[6] ए.आई.आर. 1946 पैट 392.
[7] ए.आई.आर. 1956 बोम। 104.
[8] ए.आई.आर. 1957 ट्राव-कोचीन 293.
[9] ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 974.

को सुरक्षित कर लिया, और एक लंबी कानूनी लड़ाई में, डिक्री का संशोधन लगभग 28 साल बाद 16 जुलाई, 1966 को सुरक्षित किया गया था। उन्हें डिक्री के निष्पादन से केवल इसलिए इनकार करना कि अदालत की धीमी प्रक्रिया बारह साल की अवधि से आगे बढ़ गई थी, मेरी राय में अनावश्यक होगा जब तक कि अनिवार्य शर्तों में कानून अन्यथा निर्धारित न हो-

8. जैसा कि मैंने पहले कहा था, सिद्धांत के अलावा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के संघर्ष के बावजूद विवाद अब लालजी राजा के मामले (7 सुप्रा) में उनके लॉर्डशिप की निम्नलिखित श्रेणीबद्ध टिप्पणियों से शांत हो गया *है* : –

> "25. निर्णय-देनदारों की ओर से तर्क दिया गया है कि धारा 48 एक स्व-निहित संहिता है और इसमें निर्धारित अवधि एक रोक है और सीमा की अवधि नहीं है और इसलिए डिक्री-धारक धारा 14 (2) का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस तर्क के समर्थन में संहिता की धारा 48 की उप-धारा 2 (ए) पर भरोसा किया जाता है। यह उप-धारा निस्संदेह निर्णय-देनदारों के विवाद को कुछ समर्थन देती है। यह इंगित करता है कि धारा 48 (1) के तहत निर्धारित अवधि को कब बढ़ाया जा सकता है। निहितार्थ से यह आग्रह किया जा सकता है कि संहिता की धारा 48 (1) के तहत निर्धारित अवधि केवल उस खंड में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन उस विवाद की शुद्धता का आकलन करते समय हमें संहिता की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के साथ-साथ परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 181 और 182 को ध्यान में रखना होगा। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि संहिता की धारा 48 (1) के तहत निर्धारित अवधि सीमा की अवधि है। हमारा यह निष्कर्ष कानून के बाद के इतिहास से मजबूत होता है। परिसीमा अधिनियम 1963 द्वारा, संहिता की धारा 48 को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब 1963 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 ने ले ली है।
>
> 26. एक स्तर पर, न्यायिक राय का काफी टकराव था कि क्या धारा 48 परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है। लेकिन जिन उच्च न्यायालयों ने पहले यह विचार लिया था कि धारा 48 में सीमा नहीं बल्कि रोक निर्धारित की गई है, उन्होंने अब अपनी राय में संशोधन किया है। उच्च न्यायालयों के बीच राय अब इस बात पर एकमत है कि संहिता की धारा 48 परिसीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है - देखें *कंडास्वामी पिल्लई* बनाम *कन्नप्पा चेट्टी*[10], *दुर्ग* बनाम *पंचम*[11], *सीताराम* बनाम *चुन्नीलालसा*[12], *अमरेंद्र* बनाम *मणींद्र*[13], *कृष्ण चंद्र* बनाम *परायातम्मा*[14], और *रामगोपाल* बनाम *सिदराम*[15]।
>
> 27. हमारी राय है कि उपरोक्त निर्णयों का अनुपात कानून को सही ढंग से निर्धारित करता है। इसके अलावा, कानून में स्थापित स्थिति को बदलना उचित नहीं होगा।

[10] ए.आई.आर. 1952 मैड 186 (एफ.बी.)
[11] आई.एल.आर. (1939) सभी। 647.
[12] ए.आई.आर. 1944 नाग। 155.
[13] ए.आई.आर. 1955 कैल. 269.
[14] ए.आई.आर. 1953 उड़ीसा 13.
[15] ए.आई.आर. 1943 बोम। 164.

उपर्युक्त निंदा के आलोक में, मैं आरंभ में तैयार किए गए प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दूंगा। एक आवश्यक परिणाम के रूप में यह माना जाना चाहिए कि इस बिंदु पर *अमर नाथ के मामले* (सुप्रा) में टिप्पणियां अब अच्छा कानून नहीं हैं और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

9. मामला अब अपवर्तक प्रश्न के उत्तर के अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्धारण के पास वापस जाएगा।

एस. सी. मित्तल, जे. मैं सहमत हूं।
डी. एस. थियास, जे।
के. एस. तेवाना, जे..—मैं सहमत हूँ।
एस. पी. गोयल, जे.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी